

17/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण
उपस्थित। पत्रावली मत आदेशानुसार
दिनांक 24/4/18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ रोखावाटी

24/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण
उपस्थित। एल.डी.ओ. सहित अन्य कार्य में
धस्त है भ्रमण पर है। मितल मत आदेशानुसार
दिनांक 14/6/18 को पेश हो

19/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प
में खोला के पेश हुआ सभी रकम
दाखिल। पत्रावली का दायरपत्र
अवलोकन किया गया। सभी
निवाहिल कारामी में रिपोर्ट खाली
प्रकरण का विचारण मूल बाद के

जगदीश

साम-साम लिए जाने के बाद
तम खेप शांति प्रथम हुआ
कामला दुविधा का संतुलन तथा इच्छा
प्राप्ति के बिन्दु सभी के पक्ष में
प्रति धर्म का अना-अपाम/अना-अपाम
अध्यायी निवेद्या के पाकड किया जाता है
कि तैराने दावा निवाहिल कारामी अ. न.
223। बाड़े गान खोला के रिपोर्ट
की प्रथास्मिती अन्तरे खेप पत्रावली पेश
हुआ होना मूल बाद के संतुलन है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ रोखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
गाम पंचायत